भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3284

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/ 25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

पूंजीगत व्यय हेतु मानदण्ड

3284. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय हेतु मानदण्डों में छूट देने के लिए कौन से विशिष्ट परिवर्तन लागू किए गए हैं और सरकारी व्यय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस छूट का उद्देश्य चालू वित्त वर्ष के लिए 11.11 ट्रिलियन रुपए के पूंजीगत व्यय लक्ष्य के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अनुपालन उपाय विद्यमान हैं कि सभी व्यय एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): वित्त मंत्रालय ने नकद प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के तहत, समग्र बजट के अंतर्गत विभागों/मंत्रालयों को प्रचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने हेतु ≥ ₹500 करोड़ की राशि जारी करने के लिए शर्त में छूट प्रदान की है। नकद प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित छूट एसएनए/सीएनए दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है। इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध हैः

https://dea.gov.in/budgetdivision/cash-management-guidelines

***